Ishwari Datt Joshi
LIC. NO.-38
STAMP VENDOR HLD

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

NOTARIAL

CANCELLED

Certificate No.	:	IN-UK74308500518219S
Certificate Issued Date	:	30-Jun-2020 11:16 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121720451504747255863S
Purchased by	:	SAVITRI NEGI WIFE OF KUNWAR SINGH NEGI
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SAVITRI NEGI WIFE OF KUNWAR SINGH NEGI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SAVITRI NEGI WIFE OF KUNWAR SINGH NEGI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY
U.C. TEWARI
Notary, HALDWANI
Distt. Nainital (U.K.)
R. No. 28/10/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Please write or type below this line

निरस्तनामा

सावित्री नेगी
(सावित्री नेगी)

DIVYAJYOTI
(दिव्या लमकोटी)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

इकरारनामा बावत मकान किरायेदारी

मैं कि श्रीमती सावित्री नेगी उम्र बालिग पत्नी श्री कुँवर सिंह नेगी निवासी ग्राम व पो0 ऑ0 नथुवाखान, तहसील व जिला नैनीताल उत्तराखण्ड (मकान मालिक) **प्रथम पक्ष** एवं **दिशा कपकोटी** उम्र बालिग पुत्री बसन्त सिंह कपकोटी निवासी गणेश विहार तल्ली बमौरी हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड (किरायेदार) **द्वितीय पक्ष** के मध्य आज यह किरायानामा तहरीर किये देते हैं। जो कि प्रथम पक्ष का एक मकान (सम्पूर्ण बिल्डिंग) नेगी फल बगीचा नथुवाखान, ग्राम व पो0 ऑ0 नथुवाखान, तहसील व जिला नैनीताल उत्तराखण्ड को 1 मार्च 2020 से आरम्भ होकर 11 माह तक होगी दोनों पक्षकारान के मध्य निम्न शर्ते तय की गई है–

1– मकान का किराया रू0 2,50,000/– (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति वर्ष होगा जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा।

2– यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष मकान मालिक को बिजली/पानी का बिल मीटर अनुसार अलग से अदा करना होगा। उक्त किराये के मकान में चार तल है जो क्रमश है।

भूतल – 1 हॉल

प्रथम तल – 2 डबल रूम, 1 सिंगल रूम, किचन लैट्रीन बाथरूम आदि स्थित है।

द्वितीय तल – 1 किचन, 2 डबल रूम, एक हॉल, 1 डाईनिंग रूम, 1 छोटा स्टोर रूम।

तृतीय तल – ऑफिस था उसके पीछे 1 रूम, 2/2 डबल जिसमें अटैच लैट्रीन बाथरूम बाहर [illegible] पास दो बाथरूम, छत मे तीन पानी के टैंक, 1 अन्दर ग्राउन्ड टैंक, दो पक्के टैंक है।

[illegible] द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त मकान में कोई रद्दोबदल, तोड़–फोड नहीं की जायेगी और किसी अन्य [illegible] सबलेट नही करेगा और न ही कोई साझेदार बनायेगा तथा मकान में कही भी शीलन होगी तो द्वितीय पक्ष स्वयं उसे ठीक करायेगा एवं प्रथम तल के अन्दर के कमरों मे दीवालो पर प्लास्टर [illegible] काम व बाहर अन्दर ग्राउन्ड टैंक के पास फर्श का कार्य आप द्वितीय पक्ष द्वारा ही कराया जायेगा तथा मकान में रखा हुआ रेता आप इस्तेमाल कर सकते है।

[illegible] यह कि द्वितीय पक्ष को मार्च 2020 से बिजली/पानी का बिल आपको देना होगा तथा मकान में कोई भी निर्माण का कार्य करना होगा तो आपको मुझ प्रथम पक्ष से सहमति लेनी होगी।

5– यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के किसी भी सदस्य को बगीचे में आने –जाने में कोई रोक–टोक नही होगी और जब चाहे अपने मकान को प्रथम पक्ष देख–रेख हेतु देख सकता है।

6– यह कि किवी के फल का उपयोग आधा–आधा तथा मकान के पास फलदार वृक्ष जिनमें 1 सेब का पेड, 5 ऑडू का पेड तथा 2 खुमानी के फलो का उपयोग व देख–रेख आप द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

अतः यह इकरारनामा मकान किरायेदारी पक्षकारान ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोरो दबाव के राजी खुशी के साथ रूबरू गवाहान के तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। फक्त दिनॉक 29–05–2020ई0 व मुकाम हल्द्वानी।

सावित्री नेगी
ह0 मालिक मकान
(सावित्री नेगी)

ह0 किरायेदार
(दिशा कपकोटी)

गवाहान –1– Manoj Negi

2–

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
G.C. TEWARI

Umesh Chandra Tewari
Advocate
Notary, HALDWANI
Distt. Nainital (U.K.) India

30/5/20

Identified By
Sumit [illegible]